year of service be paid to the retrenched worker; and

(d) whether Government are considering to waive the condition for the prior approval of the closure of sick units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) The Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1993 to enable introduction of a pension Scheme for EPF subscribers and the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1994 to provide for enhanced benefits have already been introduced in the Parliament last year. Bills to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, Trade Unions Act, 1926 and Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 are likely to be introduced during the current budget session of Parliament.

(b) No, Sir.

(c) and (d) The proposals to amend the Industrial Disputes Act, 1947 are under examination.

Non-Release of Share Capital to the Integrated Infrastructural Development Project

764. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the integrated infrastructural Development Project of Miyani Porbandar sanctioned by the Central Government is not progressing due to non-release of share capital of two crore so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which this amount is likely to be released?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The scheme of Integrated Infrastructural Development Projects is still under finalisation in the Ministry of Industry. The Project of Miyani Porbandar in Gujarat is to be considered after the scheme has been finalised.

राज्य सरकारों द्वारा बंधपत्र जारी करने के लिये अनुमति मांगा जाना

765. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों द्वारा अपने विकास कार्यों के लिए बंधपत्र जारी करने के लिये 1.1.94 तक जो अनुमति मांगी गई है, उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है; और

(ग) जिन राज्यों को बंधपत्र जारी करने की अनुमति दी जा रही है, उनका ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों से परियोजना विशिष्ट बाण्डों के लिए प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना वित्त पोषण के लिए बाण्ड चाहने वाले राज्य स्तरीय उपक्रमों को एस ई बी आई द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए तथा अपने बल पर ही बाजार से सम्पर्क करना चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें मूलधन अथवा ब्याज की पुनर्अदायगी के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से गारन्टी के लिए प्रतिभूतियों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए और यह कि केन्द्र सरकार ऐसे किसी मुद्दे को कर मुक्त आधार पर अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) वार्षिक योजना 1993-94 के लिए गुजरात तथा 1994-95 के लिए केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को उनके संसाधनों के भाग के रूप में बाण्ड आवंटित किए गए हैं।